


राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-1) विभाग



जयपुर, दिनांक 04/09/2019

-:संशोधित अधिसूचना:-

✓ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा जारी संमसख्यक अधिसूचना दिनांक 26.07.2019 की कॉलम संख्या 6 में नवीन राजस्व ग्राम धाकडियावास के स्थान पर नयागांव धाकडियावास पढ़ा जावें।

आज्ञा से,

(राकेश शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को निर्देशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महो०, राजस्थान, राजभवन जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मा० मुख्यमंत्री महो०, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव/विशिष्ट सहायक/समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिव, राज० सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवगण।
5. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
8. आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
10. निदेशक, जनगणना विभाग राज०, 6-बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
11. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज० जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज०, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर 10 प्रतियां निम्न हस्ताक्षरकर्ता को शीघ्र भिजवाने बाबत। हार्ड व सॉफ्ट प्रति आपकी ईमेल आई डी- govt.pressjaipur@gmail.com पर दिनांक 08.08.2019 को प्रेषित कर दी गई है।
14. महाडाकपाल, राज० जयपुर।
15. महाप्रबन्धक, टेलीकम्यूनिकेशन, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर।
16. राजस्व (ग्रुप-5/6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. रक्षित पत्रावली।

अनुभागाधिकारी

कृ.प.उ.

DD (Gen)

AD (Gen)

2.9.19

16.9.19

16/9

सि/अवेक & अवेक-सि/अवेक

Received on date- 20/9/19